

## वर्ष 2010-11 में नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक  
उत्तराखण्ड वन विकास निगम  
खनन प्रभाग नन्धौर हल्द्वानी।

विषय - नवीनीकरण के सम्बन्ध में  
महोदय,

मुझे उत्तराखण्ड वन विकास निगम एवं वन विभाग की उपखनिजों की निकासी से सम्बन्धित समस्त शर्तें एवं नियम मान्य हैं। गतवर्ष में, मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र का मैं पूर्ण रूप से पालन करूंगा। अन्यथा मेरे वाहन का पंजीकरण निरस्त करते हुए, मेरी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाये।

अतः मेरे वाहन का खनन सत्र 2010-11 हेतु नवीनीकरण करने का कष्ट करें।

मेरे वाहन का विवरण निम्न प्रकार है।

1- वाहन संख्या	वाहन का प्रकार
2- चैसिस संख्या-	
3- निकासी गेट का नाम-	
4- पंजीकरण संख्या-	
5- नवीनीकरण शुल्क रू० 250/-	बैंकड्राफ्ट सं० दिनांक धनराशि बैंक का नाम

6- वाहन स्वामी का आयकर पैन नम्बर-

7- वाहन स्वामी का दूरभाष नम्बर-

8- वाहन चालक का नाम एवं ड्राइविंग लाइसेन्स-

संलग्न- पंजीकरण प्रपत्र की मूल प्रति, आर०सी०, परमिट, बीमा, फिटनेश सर्टिफिकेट, आयकर पैननम्बर एवं चालक का ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रमाणित छायाप्रति एवं बैंकड्राफ्ट

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर-

आवेदक का पूर्ण पता-

### अनुभाग अधिकारियों के प्रयोग हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि वाहन से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों की जांच कर ली गयी है तथा यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो हम उत्तरदायी रहेंगे। वर्ष 2010-11 में नवीनीकरण की संस्तुति की जाती है।

गेट प्रभारी /सहायक के हस्ताक्षर  
नाम एवं पदनाम-  
भट का नाम-

सैक्शन अधिकारी के हस्ताक्षर  
सैक्शन अधिकारी का नाम एवं सैक्शन का नाम-